International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 05-10-2020; Accepted: 19-10-2020; Published: 12-11-2020
www.socialsciencejournal.in
Volume 6; Issue 6; 2020; Page No. 48-53

ग्रामीण विकास में आईसीटी की भूमिका: चुनौतियां और अवसर (भारत में MGNREGS का एक अध्ययन)

डॉ. बालकृष्ण सिंह

यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ़ पोलिटिकल साइंस, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर, बिहार, भारत

सार

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। MGREREGA, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाकर काम के माध्यम से रोजगार पैदा कर रहा है। इस योजना के प्रभावी प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए मजबूत आईसीटी प्रणालियों की आवश्यकता है। ई-गवर्नेंस MGNREGA कार्यों की निगरानी, सुधार के लिए अनियमितताओं और क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक मजबूत उपकरण है। आईसीटी और ई-गवर्नेंस इस कार्यक्रम में पारदर्शिता बनाता है, डेटा को हर दिन अपडेट किया गया है जो काम की प्रगति के बारे में सही जानकारी देते हैं। यह क्षेत्रों के सुधार के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। वे स्वीकार करते हैं कि आईसीटी का सबसे अच्छा उपयोग यह है कि यह लागत में कटौती और समय की खपत को कम करता है। इस संदर्भ में यह पत्र ग्रामीण विकास में आईसीटी के महत्व का विश्लेषण करता है और MGNREGS के कामकाज में एक प्रभावी उपकरण के रूप में आईसीटी की भूमिका की जांच करता है।

मुख्य शब्द: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), ग्रामीण विकास, मनरेगा, पंचायती राज संस्थान

परिचय

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तीकरण (नंदी, 2002) [5] की क्षमता है। ग्रामीण विकास क्षेत्र में आईसीटी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुप्रयोग को "ग्रामीण सूचना विज्ञान" भी कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों (मल्होत्रा, 2001) [4] में सामाजिक उत्पादन, सामाजिक खपत और सामाजिक सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करके आईसीटी से ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को लाभान्वित किया जा सकता है। ग्रामीण सूचना विज्ञान का उपयोग करके निरंतर विकास संभव है, केवल अगर आईसीटी हस्तक्षेप स्थानीय जरूरतों का जवाब देने और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रचलित ज्ञान (पारंपरिक ज्ञान प्रणाली-टीकेएस) के अनुसार फिर से समायोजित करने में सक्षम हैं। जमीनी स्तर पर प्रचलित जरूरतों और स्थानीय ज्ञान को पकड़ने के लिए, इन हस्तक्षेपों को अधिमानतः एक प्रभावी द्वि-दिशात्मक लिंक होना चाहिए। एक नागरिक-से-सरकार (C2G) और नागरिक-से-नागरिक (C2C) इंटरफ़ेस का समावेश इस लिंक को प्रदान करेगा जिससे आईसीटी हस्तक्षेपों के डिजाइन और कार्यान्वयन में सामुदायिक भागीदारी हो सकेगी। यह बदले में बेहतर आर्थिक अवसरों के साथ-साथ शासन की प्रक्रियाओं में ग्रामीण लोगों के सामाजिक समावेश का वादा कर सकता है। सामाजिक व्यवस्था में इस तरह के गुण सुशासन और ग्रामीण विकास (चारु मल्होत्रा, वी। एम। चरण, एल.के. दास, और पी। वी। इलवरसन, 2008: 216) [2] के लिए आवश्यक शर्तें हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में सूचना और संचार तकनीकों को सुगम बनाने के लिए ICT का अर्थ है अभिनव तरीके का अनुप्रयोग। आईसीटी में उन्नति का उपयोग किसानों को प्रासंगिक जानकारी और सेवा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, जिससे अधिक पुरस्कृत कृषि के लिए एक वातावरण की सुविधा मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को आधुनिक साधनों के साथ आईसीटी (अरिजीत घोष, 2011: 2) [1] के माध्यम से शिक्षित किया जा सकता है।

ग्रामीण विकास की अवधारणा

ग्रामीण विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बुनियादी जरूरतों और सेवाओं के प्रावधान, यानी शिक्षा तक पहुंच, स्वास्थ्य सेवाओं, जल आपूर्ति, बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी के विकास सहित ग्रामीण आबादी की भलाई को प्रभावित करती है। ग्रामीण विकास का उपयोग गैर-शहरी पड़ोस, ग्रामीण

इलाकों और दूरदराज के गांवों में जीवन स्तर में सुधार के लिए किए गए कार्यों और पहलों को दर्शाने के लिए किया जाता है। समुदाय मुख्य रूप से कृषि गतिविधियों और आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर करते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र, खाद्यान्न और कच्चे माल के उत्पादन से संबंधित होंगे। इस प्रकार, ग्रामीण विकास गतिविधियां ज्यादातर ग्रामीण समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास (दक्षिण अफ्रीकी ग्रामीण विकास, 1997: 9) को लक्षित करती हैं।

भारत में ग्रामीण विकास

भारत में ग्रामीण विकास ने अपने जोर, दृष्टिकोण, रणनीतियों और कार्यक्रमों में वर्षों में कई बदलाव देखे हैं। इसने परिणाम के रूप में एक नया आयाम और दृष्टिकोण ग्रहण किया है। विकास के ग्राहकों की भागीदारी से ही ग्रामीण विकास समृद्ध और अधिक सार्थक हो सकता है। जिस तरह कार्यान्वयन योजना के लिए टचस्टोन है, ग्रामीण विकास में लोगों की भागीदारी केंद्र-टुकड़ा है। लोगों की भागीदारी प्रक्रियात्मक और दार्शनिक दोनों दृष्टिकोणों से विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले आवश्यक है। विकास योजनाकारों और प्रशासकों के लिए योजनाओं को भागीदारीपूर्ण बनाने के लिए ग्रामीण लोगों के विभिन्न समूहों की भागीदारी को हल करना महत्वपूर्ण है।

हालाँकि, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं जैसे कृषि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिला और बाल विकास और आदिवासी मामले आदि इसके अलावा, जमीनी स्तर के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, सरकार कार्यों, शक्तियों और वित्त के मामले में पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ग्राम सभा, गैर सरकारी संगठनों, स्व-सहायता समूहों और पीआरआई को भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र को सार्थक और प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त भूमिकाएँ दी गई हैं (गंगोपाध्याय, मुखोपाध्याय। के। पुष्पा सिंह, 2008)।

ग्रामीण क्षेत्रों में आई.सी.टी.

नागरिकों द्वारा सुविधाजनक स्थानों पर अपनी सेवाएं देने के लिए सरकारों द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीण आईसीटी आवेदन केंद्रीय एजेंसियों (जैसे जिला प्रशासन, सहकारी संघ, और राज्य और केंद्र सरकार के विभागों) को अपने गांव के दरवाजे पर नागरिकों को प्रदान करने का प्रयास करते हैं। ये एप्लिकेशन बेहतर और सस्ती कनेक्टिविटी और प्रसंस्करण समाधान की पेशकश में आईसीटी का उपयोग करते हैं। कई सरकारी-नागरिक (जी-सी) ई-सरकारी पायलट परियोजनाओं ने पहुंच में सुधार, आधार बढ़ाने, प्रसंस्करण लागत को कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और चक्र समय को कम करने के लिए इन तकनीकों को अपनाने का प्रयास किया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण ई-गवर्नमेंट एप्लिकेशन, विकसित किए गए एस्पिलॉट प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य नागरिक सेवाओं तक आसान पहुंच और सरकार से नागरिक लेनदेन में सुधार करना था। इनमें से कुछ ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है और अपने अभिनव दृष्टिकोण के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने ग्रामीण संदर्भ में आईसीटी की शक्ति का प्रदर्शन किया है और भविष्य की ई-सरकार परियोजना कार्यान्वयन के लिए संदर्भ मॉडल के रूप में देखा जाता है। इन परियोजनाओं में से अधिकांश में इंटरनेट प्रौद्योगिकी के विकास और दूरदराज के स्थानों तक पहुंचने के अवसर के रूप में पीसी की लागत में गिरावट देखी गई है। उन्होंने मौजूदा दूरसंचार बुनियादी ढांचे और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग सस्ती कनेक्टिविटी समाधान के रूप में किया। उन्होंने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) से जुड़े पीसी आधारित कियोस्क के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों के लिए सभी संभव सूचना सेवाओं में पैकेज करने की कोशिश की। कुछ परियोजनाओं ने दूरस्थ स्थानों तक पहुँचने के लिए वायरलेस तकनीक के साथ प्रयोग किया है (रामा राव टी.पी., 2004, आईसीटी और ग्रामीण विकास के लिए ई-गवर्नेंस)

ग्रामीण विकास में नरेगा की भूमिका: ऐतिहासिक संदर्भ

आम तौर पर, शब्द "सही" नागरिक समाज में किसी कार्य, चीज या मान्यता को प्राप्त करने या प्राप्त करने या करने से इनकार करने या करने से रोकने के लिए कानूनी या नैतिक अधिकार है। अधिकार लोगों के बीच बातचीत के नियमों के रूप में कार्य करते हैं, और, जैसे, वे समुदाय से व्यक्ति की कार्रवाई पर बाधाओं और दायित्वों को रखते हैं। काम करने का अधिकार संवैधानिक गारंटी का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 39 (ए) में कहा गया है कि “राज्य... नागरिक को सुरक्षित करने की दिशा में अपनी नीति को निर्देशित करेगा; पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है ... "अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि" राज्य ... काम करने का अधिकार हासिल करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा "। उपरोक्त लेख एनआरजी अधिनियम (पुल राव राव, 2012: 128-124) के अधिनियमित के लिए कोने का पत्थर है।

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण विकास के उद्देश्य से विभिन्न ग्रामीण रोजगार योजनाएं शुरू की गईं। रूरल मैन पावर (RMP) (1960-61), क्रैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट (CSRE) (1971-74), पायलट इंटेंसिव रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम (PIREP) (1972), स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी (SFDA) (1970-71) और सीमांत किसान और कृषि श्रम योजना (एमएफएएल) (1970-71) कुछ उदाहरण थे।

इन प्रयोगों को 1977 में फूड फॉर वर्क प्रोग्राम (एफडब्ल्यूपी) (1977) (ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2007: 1-2) के रूप में एक पूर्ण मजदूरी-रोजगार कार्यक्रम में अनुवाद किया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी) (1980), जवाहर रोजगार योजना (1989), रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस) (1993), जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) (1999), सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY)) (2001-02) और नेशनल फूड फॉर वर्क्स प्रोग्राम (NFFWP) (2005) (शाह वीडी और मकवाना, 2012, 19)।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) को संसद द्वारा 25 वाँ 2005 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम 2 फरवरी, 2006 को लागू हुआ और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। पहले चरण में इसे देश के सबसे पिछड़े जिलों में से 200 में पेश किया गया था। इसे 2007-2008 के दौरान द्वितीय चरण में अतिरिक्त 130 जिलों में लागू किया गया था। अधिनियम को भारत के शेष ग्रामीण जिलों में 1 अप्रैल, 2008 से तीसरे चरण में अधिसूचित किया गया था। (ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2013: 3)। 2October 2009 (भारत के राजपत्र, 2009, No.53 और राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2009 का नंबर 46) पर नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) कर दिया गया।

उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं

नरेगा अगस्त 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति पद प्राप्त किया था। नरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है ताकि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को विकसित करने वाले मजदूरी रोजगार सृजन हो सके। सुझाए गए कार्यों के चुनाव ने सूखे, वनों की कटाई, मिट्टी के कटाव आदि जैसी पुरानी गरीबी के कारणों का पता लगाया है, जो प्रभावी रूप से लागू किए गए हैं, अधिनियम के तहत उत्पन्न रोजगार भी ग्रामीण भारत के दीर्घकालिक दीर्घकालिक परिसंपत्ति आधार का निर्माण करते हैं। नरेगा किसी भी वयस्क को सार्वजनिक कार्यों पर मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है, जो अकुशल मैनुअल काम करने के लिए तैयार है, प्रति वित्तीय 100 दिनों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष के लिए गारंटीकृत रोजगार के अधीन है। यदि रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकता है, तो आवेदक दैनिक बेरोजगारी भत्ता (ICTD, 2006: 35) का हकदार है।

आईसीटी हस्तक्षेप के संभावित क्षेत्र

नरेगा के कार्यान्वयन में एक आईसीटी हस्तक्षेप निम्नलिखित दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है

1. ICT पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और सूचना प्रसार में मदद करता है।
2. एक आईसीटी उपकरण की आवश्यकता है क्योंकि कार्यक्रम का आकार बहुत बड़ा है, न केवल भौगोलिक और वित्तीय दृष्टिकोण से, बल्कि लाभार्थियों के लक्ष्य समूह के आकार के दृष्टिकोण से भी।
3. आईसीटी कार्यक्रम की ऑनलाइन निगरानी और मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है। समय पर प्रतिक्रिया समय पर सुधारात्मक कार्यों में मदद करती है।
4. एक ICT उपकरण सामाजिक ऑडिट में मदद करता है जिससे स्थानीय निकाय और नागरिक वास्तव में अपने अंत में कार्यक्रम का ऑडिट कर सकते हैं। ICT नरेगा (ICTD, 2006: 35) के कार्यान्वयन के हर चरण में एक निश्चित भूमिका निभाता है।

हस्तक्षेपों के लिए प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं।

क) योजना चरण

- पंचायत स्तर पर टिकाऊ, उत्पादक, श्रम-गहन कार्यों के डेटाबेस का निर्माण। सामाजिक रूप से उत्पादक और टिकाऊ परिसंपत्तियों / बुनियादी ढांचे का मानचित्रण जो संबंधित क्षेत्रों / समूहों में बनाया जा सकता है।
- जॉब कार्ड जारी करना, मस्टर रोल का डिजिटलीकरण, नियोजित व्यक्ति, उनके उत्पादन, मजदूरी दर, काम के घंटे आदि आईसीटी के उपयोग के माध्यम से पंचायतों, साथियों और समुदाय द्वारा सत्यापन के लिए भी उपलब्ध हो सकते हैं।
- स्मार्ट कार्ड / बायोमेट्रिक कार्ड का उपयोग क्षेत्र के प्रत्येक लाभार्थी को पहचानने और ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है।

ख) निगरानी करना

- आईसीटी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान करता है कि नामित ग्रामीण परिवार के सदस्य केवल 100 दिनों के रोजगार की गारंटी का लाभ उठा रहे हैं और उनके वेतन रोजगार के अधिकारों का दूसरों द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। इस मुद्दे को हल करने के लिए संभावित समाधान के रूप में फिंगरप्रिंट पहचान जैसी बॉयोमीट्रिक प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। बैक-एंड पर एक व्यापक कम्प्यूटरीकृत एमआईएस द्वारा समर्थित फ्रंटएंड पर फिंगरप्रिंट पहचान आधारित समय और उपस्थिति प्रणाली समस्या को संबोधित करने में सक्षम हो सकती है।
- एनआरईजी अधिनियम दैनिक मजदूरी के लिए एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर वितरित किया जाना अनिवार्य बनाता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि यह जानकारी सार्वजनिक रूप से MIS के माध्यम से देखने के लिए उपलब्ध हो।
- सूचना जैसे कि घरों से संबंधित डेटा, प्रदान किए गए रोजगार के दिनों की संख्या, बनाई गई परिसंपत्तियों पर रिपोर्ट, राज्यों को ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा धन के आवंटन जैसी वित्तीय जानकारी और अंततः कार्यान्वयन एजेंसियों को भुगतान की गई ट्रैकिंग मजदूरी का भुगतान करना। कार्यकर्ताओं और कार्यान्वयन के अन्य सभी पहलुओं पर कब्जा किया जाना चाहिए और पदानुक्रम और जनता में बड़े पैमाने पर लोगों के लिए देखने के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह सूचना के अधिकार अधिनियम द्वारा आवश्यक है।
- भौगोलिक सूचना प्रणाली-GIS का उपयोग NREGS की निगरानी को बहुत बढ़ा सकता है। योजना के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों को दिखाने के लिए डिजिटल नक्शे उपलब्ध कराए जा सकते हैं और बनाई गई संपत्ति की गुणवत्ता के आकलन के लिए प्रदान कर सकते हैं।

ग) संचार और मोबिलाइजेशन

- आईसीटी के कुछ हस्तक्षेप जिन्हें संभवतः संचार और मोबलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, में सामुदायिक रेडियो, टेलीविजन, सार्वजनिक पते प्रणाली, पंचायत वेबसाइट और नरेगा को प्रचारित करने के लिए इंटरनेट शामिल हैं।
- कुछ गाँवों में स्थापित किए गए सूचना कियोस्क और विभागो आईटी द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे 100,000 कॉमन सर्विस सेंटरों को योजना के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए केंद्र बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

घ) काम का निष्पादन

- कार्य प्रबंधन प्रणाली में कार्य अभिलेखों में उपस्थिति के प्रामाणिक रिकॉर्ड के साथ एक साथ रोजगार रिकॉर्ड को अद्यतन करना आवश्यक है। किसी विशेष ब्लॉक में योजना के तहत उठाए जाने वाले कार्यों को उस ब्लॉक के सभी पंचायतों द्वारा देखने और माप के लिए उपलब्ध होना चाहिए।
- कार्य के अनुमोदन के बाद से कार्य प्रवाह स्वचालन प्रणाली को लागू किया जाता है, कार्य करने वाली एजेंसी को कार्यों का आवंटन आदि कार्यक्रम अधिकारी या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी (जिला, मध्यवर्ती या ग्राम स्तर पर पंचायतों सहित) द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- मजदूरी और बेरोजगारी भत्ते का वितरण।

परियोजना कार्यान्वयन के लिए आईसीटी सॉल्यूशंस की कोशिश की जा रही है:

आंध्र प्रदेश सरकार (एपी) नरेगा के कार्यान्वयन में आईसीटी को तैनात करने में एक अग्रणी है। TCS (Tata Consultancy Services) के सहयोग से एक सॉफ्टवेयर पैकेज विकसित किया गया है, जो विभिन्न प्रक्रियाओं को एकीकृत करता है जैसे: मजदूरी साधक का नामांकन, कार्य निष्पादन की निगरानी, वेतन और सामग्री भुगतान का प्रबंधन, आदि एक ही ढांचे में: इस सॉफ्टवेयर के साथ कंप्यूटर हैं। एपी के 13 जिलों में सभी 656 मंडलों में स्थापित। अधिनियम में अनुमत कार्यों की आठ श्रेणियों के तहत, 62 प्रकार के कार्यों की पहचान की गई है। सरलीकृत इनपुट डेटा शीट जो एक गैर तकनीकी व्यक्ति द्वारा भरी जाती हैं, इन सभी प्रकार के कार्यों के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इनपुट डेटा शीट में जानकारी फीड किए जाने के तुरंत बाद कंप्यूटर द्वारा अनुमान उत्पन्न किए जाते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया पारंपरिक अनुमान तैयारी को ध्वस्त कर देती है और किसी भी सामान्य व्यक्ति को अनुमान तैयार करने की प्रक्रिया को समझने में सक्षम बनाती है।

कई अन्य समाधान विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं लेकिन अभी तक कार्यान्वयन चरण तक नहीं पहुंचे हैं। उनमें से कुछ हैं:

ग्रामीण एटीएम का उपयोग करना

यदि बैंक खाते के हस्तांतरण तंत्र को लागू किया जाता है, तो भंवर टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित कम लागत वाले ग्रामीण एटीएम (ग्रामटेलर) को लागू किया जा सकता है।

एटीएम उपयोग किए गए और नए नोट दोनों के साथ काम करता है और इसमें फिंगरप्रिंट आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली है। यह बिल्ट-इन बैटरी बैक-अप के साथ बहुत कम बिजली पर काम करता है और इसमें एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता नहीं होती है।

बॉयोमीट्रिक्स का उपयोग करना

कार्यकर्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए बायोमेट्रिक्स का उपयोग करने में एक दिलचस्प पायलट 27 अप्रैल, 2006 को जकुल्ला कुठा पल्ली (जेके पल्ली, अमदुगुरु मंडल के अंतर्गत, अनंतपुर जिला मुख्यालय से लगभग 95 किलोमीटर दूर) में, लगभग 200 परिवारों का एक रिमोट हैमलेट किया गया था। जैव-मीट्रिक ट्रैकिंग 100 प्रतिशत सफल रही, जिसमें कोई असफलता नहीं थी, एक स्टैंडअलोन बायोमेट्रिक डिवाइस और 12 वोल्ट की कार बैटरी का उपयोग करना, क्योंकि पूरे मंडल में पूरे दिन बिजली की आपूर्ति नहीं थी।

बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण, अपनी स्वयं की परिचर समस्याओं के बिना नहीं था, जैसा कि कुछ महिलाओं ने काम से सीधे आया था, अपनी उंगलियों पर सीमेंट / चूना मोर्टार कोटिंग के साथ। कुछ अंगुलियां बहुत खुरदरी थीं और दूसरी फिंगर प्रिंट पंजीकरण लेना पड़ा। लेकिन 100 प्रतिशत सफलता दर प्राप्त हुई, जिसमें से पहले प्रयास में 80 प्रतिशत और दूसरे प्रयास में 20 प्रतिशत सफलता मिली। लगभग 50 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं। जेके पल्ली में भुगतान संवितरण के लिए स्थानीय समिति की बैठक के मिनट बायोमेट्रिक ट्रैकिंग और भुगतान (ICTD, 2006: 37-38) के विवरण को विस्तृत करते हैं।

20 अगस्त, 2010 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार (MoRD) ने राष्ट्रीय कार्यशाला में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए बॉयोमीट्रिक सक्षम आईसीटी अनुप्रयोगों के लिए अपनी रणनीति का खुलासा किया। “महात्मा गाँधी नरेगा-आईसीटी” का शीर्षक लोगों के लिए एक साधन है, जिसका अधिकार है: गवर्नेंस रिफॉर्म एंड ट्रांसपेरेंसी की ओर एक कदम ”(वनवर्ल्ड साउथ एशिया, 2010)।

MGNREGA एक सामाजिक सुरक्षा कानून है जो मांग पर रोजगार के अधिकार का प्रतीक है। प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा किए गए स्वतंत्र अध्ययन से संकेत मिलता है कि 2006 में अपनी स्थापना के बाद से, थिएक्ट ने महिलाओं के लिए 50% शेयर और SC / ST के लिए 50% से अधिक, और Rs.66976.91 करोड़ के साथ रोजगार के लगभग 800 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। इसने बढ़ी हुई मजदूरी दरों और मजदूरों की सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि की है, क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च में वृद्धि हुई है, संकट प्रवास में कमी आई है, और हरित नौकरियों के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि हुई है। बड़े पैमाने पर परिचालनों और पारदर्शी तरीके से सूचनाओं के बड़े संस्करणों को संभालने की आवश्यकता ने आईसीटीएसएन कार्यक्रम वितरण का उपयोग किया।

वर्ष 2009 में, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में पायलट पहल की गई। इस पायलट से सबक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और यूएनडीपी के साथ साझेदारी में निष्पादित, इस प्रयास के विस्तार, विस्तार और स्केलिंग के लिए काफी संभावनाएं प्रदर्शित की गईं- जो एनआरईजीएस के लाभार्थियों तक पहुंचते हैं - विशेष रूप से आवाज मोड को कम करने के लिए। साक्षरता की बाधा, और मोबाइल और हाथ से पकड़ी जाने वाली तकनीकों की पहुंच को पूरा करना।

2 अक्टूबर 2009 से, वनवर्ल्ड फाउंडेशन इंडिया, ने बॉयोमीट्रिक आधारित पंजीकरण, कार्य की माँग, दिनांक जारी करने, कार्य आवंटन, उपस्थिति की रिकॉर्डिंग, से सभी प्रक्रियाओं को ई-सक्षम करके MGNREGA में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही को दूर करने का प्रयास किया था। जीपीएस के साथ हाथ से पकड़े गए उपकरणों का उपयोग करके निर्देशांक और कार्य माप। चिकित्सकों के लिए नरेगा से संबंधित ज्ञान का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करने वाला एक डिजिटल भंडार, और एक सामुदायिक रेडियो पहल, ज्ञान के चक्र को पूरा करती है, जिसमें ग्रामीण गरीबों को स्थायी रोजगार से लेकर स्थायी आजीविका (वनवर्ल्ड साउथ एशिया, 2010) की सुविधा मिलती है।

निष्कर्ष

गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए मनरेगा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशलमानुलाबोर के लिए रोजगार प्रदान करता है। गरीबी को कम करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह एक बड़ा कार्यक्रम है इसलिए नवीनतम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का सबसे अच्छा उपयोग कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने में मदद करता है और पारदर्शिता भी लाता है और इस तरह विश्वसनीयता भी। वास्तविक समय के आधार पर व्यापक मनरेगा डेटाबेस में एकीकरण धोखाधड़ी, दोहराव और काम के माप भुगतान में देरी को समाप्त करता है। उत्पन्न आंकड़ों को नागरिकों की विशिष्ट पहचान संख्या "आधार" के साथ जोड़ा जा सकता है। इसका उपयोग बैंकों, डाकघरों द्वारा भी किया जा सकता

है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल के माध्यम से मनरेगा खातों की सर्विसिंग के उद्देश्य से।

निस्संदेह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने के लिए मनरेगा एक अच्छा प्रयास है। लेकिन उचित कार्यान्वयन और पारदर्शिता इसे और अधिक सफल बनाएगी। ई-गवर्नेंस MGNREGA कार्यों की निगरानी, सुधार के लिए अनियमितताओं और क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक मजबूत उपकरण है। अधिकांश लाभार्थियों को MGNREGA प्रक्रियाओं के बारे में बहुत कम जागरूकता है, यह सुझाव दिया जाता है कि ग्रामीण लोगों को प्रक्रियाओं और विशेषताओं को समझने के लिए संचार चैनलों को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। सरकार को आईसीटी के उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए कुछ प्रेरण कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए।

संदर्भ

1. अरिजीत घोष. "ग्रामीण विकास के लिए पहल आईसीटी: एक भारतीय परिप्रेक्ष्य", ग्लोबल मीडिया जर्नल, शीतकालीन सत्र, टीका. 2011; 2(2):1-5।
2. चारु मल्होत्रा, वी। एम। सारियार, एल.के. दास, और पी। वी। इलवरासन, ग्रामीण विकास के लिए आईसीटी: ई-गवर्नेंस के लिए एक समावेशी ढांचा, ई-गवर्नेंस को अपनाना, 2008, 216-218.
3. गंगोपाध्याय डी।, मुखोपाध्याय। के। पुष्पा सिंह. ग्रामीण विकास: भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए एक रणनीति, ग्रामीण भारत के लिए एसएंडटी और समावेशी विकास, भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी**,** 2008.
4. मल्होत्रा, चारु. उभरते संस्थानों में भारत में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण सूचना विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी नीतियां, विकेंद्रीकृत ग्रामीण विकास के लिए एनआईआरडी स्थापना दिवस संगोष्ठी की कार्यवाही में, एस.पी. जैन द्वारा संपादित, पीपी। 223-250, हैदराबाद; NIRD, हैदराबाद, भारत, 7-8 जनवरी, 2001.
5. नंदी बी. 21 वीं सदी में विकासशील देशों में दूरसंचार की भूमिका, 14 वीं द्विवार्षिक सम्मेलन सियोल: इंटरनेशनल टेलीकॉम सोसाइटी (ITS), 2002.
6. पुला राव, डी. "महिला सशक्तीकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS): आंध्र प्रदेश का एक अनुभव", भारत में महिला सशक्तिकरण में समस्याएं और संभावनाएँ, पुला राव। डी (एड), दिल्ली; मंगलम प्रकाशन, पीपी, 2012, 128-129.
7. शाह वीडी, मकवाना. "गुजरात राज्य में मजदूरी दरों, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण और शहरी प्रवासन पर नरेगा का प्रभाव", जर्नल ऑफ इकोनोमिकडेवेलपमेंट, वॉल्यूम में। 48, नंबर 2, जुलाई-दिसंबर, पी। 19, 2012.
8. भूमि मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित दक्षिण अफ्रीका ग्रामीण विकास फ्रेमवर्क (SARDF)। दक्षिण अफ्रीका के, 1997, पी। 9.
9. भारत का राजपत्र, No.53, भाग- II, अनुभाग- I और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2009 की संख्या 46), कानून और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली, 31 वां दिसंबर, 2009.